झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1099 वर्ष 2017

फिलोमिना जेस .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य, अपने मुख्य सचिव, रांची के माध्यम से

2. उपायुक्त–सह–जिला निर्वाचन आयुक्त, गुमला

3. जिला कल्याण अधिकारी, गुमला .... प्रतिवादीगण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री अशोक कु0 पाण्डेय

राज्य के लिएः– श्री अश्विनी भूषण, वरिष्ठ एस0सी0–II का ए0सी0

08 / 30.03.2022 मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

वर्तमान रिट याचिका लोकसभा चुनाव, 2014 के चुनाव ड्यूटी के दौरान अपने पति की मृत्यु के कारण याचिकाकर्ता ने अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश जारी करने के लिए दायर की है।

प्रत्यर्थी सं0 2 और 3 की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया है कि अनुग्रह अनुदान का दावा करने वाले याची के अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, उसके पति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, भारत के निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के साथ–साथ झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 04.11.

2006 को जारी संकल्प संख्या 376 सहित प्रासंगिक पहलुओं की जांच की गई थी और उसके बाद यह पाया गया कि याची लोकसभा चुनाव, 2014 के दौरान अपने पति की मृत्यु के कारण अनुग्रह अनुदान पाने का हकदार थी। तद्नुसार, प्रत्यर्थी सं0 2 ने ज्ञापन संख्या 134 (ii) दिनांक 16.03.2022 [प्रति शपथपत्र के अनुलग्नक–ख] में निहित एक आदेश पारित किया है, जिसमें कार्यालय को कानून के अनुसार इस आशय का एक प्रस्ताव तैयार करने और उसे मंत्रिमंडल (चुनाव) विभाग, झारखंड सरकार, रांची को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए एक सिफारिश के साथ भेजने का निर्देश दिया गया है।

प्रतिशपथपत्र में प्रत्यर्थी सं0 2 और 3 द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण पर विचार करते हुए और विशेष रूप से ज्ञापन सं0 134 (ii), दिनांक 16.03.2022 में निहित प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी सं0 2 को इस आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता को अनुग्रह अनुदान की देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

वर्तमान रिट याचिका तद्नुसार उपरोक्त निर्देश के साथ निपटाई जाती है।

(राजेश कुमार, न्याया0)